दैनिक भास्कर
बिलासपुर 22-07-2025

### हाई कोर्ट ने मामले को कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती माना

# हाईवे पर रईसजादों ने बनाई रील, कोर्ट ने पूछा- FIR, वाहन जब्त क्यों नहीं किए

लीगल रिपोर्टर| बिलासपुर

नेता के बेटे और उसके रसूखदार दोस्तों ने महंगी कारों के काफिले को सकरी के पास नेशनल हाईवे पर खड़ी कर रील बनाने के बाद इसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया। रील बनाने तक सड़क के एक ओर जाम लगा रहा। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा गया है। पूछा कि यह कानून व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है, लेकिन पुलिस ने केवल जुर्माना वसूला और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव ही भेजा, गाड़ियां जब्त क्यों नहीं की? चीफ जस्टिस सिन्हा के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि यह बेहद चिंता की बात है कि बार-बार हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की शरारतें दोहराई जा रही हैं। ये लोग यह न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करते हैं।

जब कोई रईस बच्चा इस तरह की हरकत करता है, तो पुलिस की ढिलाई और ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। न जुर्माना असरदार है, न ही गाड़ियां जब्त की गईं। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट या अन्य एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं किया गया। जबकि यह सार्वजनिक सड़क को बाधित करने और कानून-व्यवस्था को चुनौती देने का मामला है। दरअसल, भाजपा नेता के करीबी और कांग्रेस नेता विनय शर्मा के बेटे वेदांश शर्मा और उसके दोस्तों ने काली टोयोटा फॉरच्यूनर गाड़ियों के काफिले में सकरी के पास नेशनल हाईवे पर खुलेआम स्टंट किए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अनुसार न सिर्फ सड़क के बीच गाड़ियां खड़ी कर दीं, बल्कि वीडियो शूट के लिए प्रोफेशनल वीडियोग्राफर और तेज लाइट्स तक का इंतजाम किया। इस दौरान जाम लग गया।

रईसजादों ने इस तरह बिलासपुर हाईवे पर वाहन खड़े कर जाम लगाया था।

## सख्ती होते ही पुलिस ने रात 11 बजे थाने मंगवा ली गाड़ियां

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस भी देर रात हरकत में आ गई। नेशनल हाईवे पर जिन वाहनों को खड़े कर जाम लगाया गया, उन्हें रात 11 बजे सकरी थाने में बुला लिया गया। पुलिस ने रात करीब 12:30 बजे तक थाना परिसर में 6 वाहन रखवा लिए।

**पुलिस ने सिर्फ जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया:** वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर 2000 रुपए प्रति गाड़ी जुर्माना लगाया और आरटीओ को ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा। इससे पहले 4 जुलाई को भी डीएसपी की पत्नी ने भी ऐसा स्टंट किया था। इस मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। बिलासपुर की घटना के कारण मामले पर तय समय से पहले सुनवाई की गई।